न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
9/2012	26.6.2012	28-4-2025

पप्पू चौकीदार उर्फ रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल दत्तक पुत्र रणजीत नि0 सपेरा बस्ती, राजकीय महाविद्यालय के पास, गंगापुर सिटी ——अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत उदेईकलां जरिए सरपंच तेजसिंह ग्राम पंचायत उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
3. राजूलाल पुत्र मोतीलाल, मीना नि0 संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी (मृतक)

3/1.खेमा उर्फ निम्मो पत्नि स्व0 राजूलाल
3/2.पवन पुत्र स्व0 राजूलाल
3/3.आशीष पुत्र स्व0 राजूलाल
निवासी प्लाट नं0 3, सुन्दरनगर रेल्वे स्टेशन के सामने, आनन्दा रोड, सांगानेर, जयपुर

4. रामप्रकाश पुत्र कल्याण प्रसाद जाति मीना निवासी पुलिस चौकी, कैलाश टाकीज के पास, गंगापुर सिटी
5. अमरसिंह पुत्र सूकीराम, मीना निवासी ल्हावद तह0 नादौती जिला करौली

——रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील नामान्तरकरण संख्या 1147 ग्राम पंचायत उदेईकलां
दिनांक 21.5.2012 भूमि ख0नं0 5668/6449 रकबा 0.50 है0
5669 रकबा 0.53 है0, 5670 रकबा 0.60 है0, 5672 रकबा 0.02 है0
किता 4 कुल रकबा 1.65 है0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
प्रार्थना पत्र बाबत् अपील खारिज करने

उपस्थित :—श्री बृजनन्दन दीक्षित, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
श्री भागचन्द पल्लीवाल, एडवोकेट, रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी अपील में रेस्पोन्डेन्ट राजूलाल पुत्र मोतीलाल मीना द्वारा दिनांक 23.7.2021 को प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अपील नामान्तरकरण संख्या 1147 ग्राम पंचायत उदेईकलां के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा पेश की गई है जो भूमि ख0नं0 5668/6449 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 5669 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 5670 रकबा 0.60 है0 तथा ख0नं0 5672 रकबा 0.02 है0 के सम्बन्ध में है किन्तु दौराने विचारण अपील इन खसरा नम्बरान को भू—राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के तहत आबादी में परिवर्तित कर दिया गया है। अब अपील [illegible] आधार पर व्यर्थ हो गई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील खारिज फरमाई जावे

इस प्रार्थना पत्र का अपीलार्थी ने दिनांक [illegible]7.10.2022 को जबाब प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अप्रार्थी राजूलाल द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थना पत्र पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण सं0 1147 दि0 21.5.2012

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:53:27 IST
Reason: SelfAttested

विधि विरूद्ध तरीके से दौराने स्थगन खोला गया है जिसकी अपील भी माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। विवादित खसरा नम्बर के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई धारा 90 बी एल0आर0एक्ट की कार्यवाही नहीं की गई है। नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा धारा 90 ए एल0आर0एक्ट की कार्यवाही की गई है जो वादी द्वारा साजिशी रूप से विधि विरूद्ध की गई कार्यवाही है जिसके विरूद्ध संभागीय आयुक्त भरतपुर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तरीके से पेश होने के कारण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि आबादी में परिवर्तित हो चुकी है एवं नगर परिषद् द्वारा वादग्रस्त भूमि में पचासों व्यक्तियों को पट्टे जारी किए जा चुके हैं इसलिए अब वादग्रस्त भूमि धारा 5(24) के अन्तर्गत कृषि भूमि नहीं है ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को ऐसे प्रकरण को सुनने का श्रवणाधिकार नहीं रहा है। फलस्वरूप प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाई जावे। अपने कथन के समर्थन में रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त आर0 आर0 टी0 2013(2) पेज 808 प्रस्तुत किया है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि में करीब 11 व्यक्तियों को नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा जारी पट्टों की छायाप्रतियां भी प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुसार बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में नगर परिषद् गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 4.8.2016 द्वारा धारा 90 क एल0 आर0 एक्ट की कार्यवाही की गई थी जिसके विरूद्ध श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां प्रस्तुत अपील दिनांक 26.9.2023 को स्वीकार कर ली गई है एवं नगर परिषद् का आदेश दिनांक 4.8.2016 निरस्त कर दिया गया है इसलिए अब भूमि आबादी की नहीं रही है बल्कि कृषि भूमि हो गई है। इसलिए वादी द्वारा दिनांक 23.7.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि आयुक्त, नगर परिषद्, गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 4.8.2016 द्वारा धारा 90 क एल0आर0एक्ट के तहत कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु संपरिवर्तित की गई थी। इस आदेश के विरूद्ध अपील श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के यहां होने पर श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26.9.2023 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:53:27 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4.8.2016 निरस्त किया है एवं पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, नगर परिषद् गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित किया है।

प्रस्तुत मामले में रेस्पोन्डेन्ट राजूलाल की ओर से वादग्रस्त भूमि में 11 व्यक्तियों को नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा आवासीय पट्टा जारी किया गया है, उन पट्टों की छायप्रतियां प्रस्तुत की है एवं ये पट्टे आज भी प्रभाव में है। इनसे यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक रूप से वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं रहकर वर्तमान में अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 102/2007 उनवानी राजूला बनाम पप्पू वगैरा की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वाद पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1, जो प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी है, ने दिनांक 9.4.2021 को वाद में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2)(4) सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, जो प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी है, ने स्वयं ने वादग्रस्त भूमि में इस अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 रामप्रकाश व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 अमरसिंह द्वारा 30 व्यक्तियों को भूखण्डो में भूमि विक्रय करने का एवं इन व्यक्तियों द्वारा भूखण्डों पर बाउण्ड्री/मकान निर्माण करने का तथ्य अंकित किया है। इससे भी यह विदित है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नहीं रही है तथा भूमि अकृषि प्रयोजनाथ उपयोग में आ रही है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि अधिनियम की धारा 5(24) के अन्तर्गत कृषि भूमि नहीं रहकर अकृषि प्रयोजनार्थ काम में आ रही है ऐसी स्थिति में ऐसे मामलों को सुनने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं रह जाता है। फलस्वरूप रेस्पोन्डेन्ट राजूलाल की ओर से दिनांक 23.7.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार रेस्पोन्डेन्ट राजूलाल द्वारा दिनांक 23.7.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २८-५-२०२५ को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:53:27 IST
Reason: SelfAttested